<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या :– 1/2019

बउनवान

1. अनुराधा पुत्री मूलचन्द जाति खाती निवासी कंवल्दा तहसील खानपुर जिला झालावाड
2. रजनी उर्फ लक्ष्मी पुत्र मूलचन्द पत्नि लक्ष्मीचन्द जाति खाती निवासी ए–229 रोड नं0 5 इन्द्रप्रस्थ ऐरिया कोटा तहसील लाडपुरा कोटा (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

1– रामनिवास पुत्र बादाम जाति खाती निवासी मून्डक्या तहसील छबडा जिला बारॉ
2– आशाराम उर्फ आशू पुत्र बादाम जाति खाती निवासी मून्डक्या तहसील छबडा
3– रानू पुत्र बादाम जाति खाती निवासी मून्डक्या तहसील छबडा जिला बारॉ
4– बनासी पुत्री बादाम जाति खाती निवासी मून्डक्या तहसील छबडा जिला बारॉ
5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

<u>अपील विरूद्ध नायब तहसीलदार छबडा के तस्दीकी इन्तकाल नंबर 130 दि. 4.11.1995 वाके ग्राम खेरखेडा गुसाई तहसील छबडा के अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (अपीलांट)
2– श्री रमेश चन्द गोयल अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)
3– पेरोकार सरकार

<u>निर्णय दिनांक 14.10.2019</u>

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार छबडा के तस्दीकी इन्तकाल नम्बर 130 दिनांक 4.11.1995 वाके ग्राम खेरखेडा गुसाई तहसील छबडा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 25.1.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया, जिसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 4 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर, प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट कम 5 पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 130 दिनांक 4.11.1995 ग्राम खेरखेडा गुसाई नायब तहसीलदार छबडा विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है। जो निरस्त योग्य है।

यह कि विवादित नामान्तरकरण मे दर्ज आराजी खातेदार जगन्नाथ पुत्र भोलू के खाते की थी, परन्तु भोलू का फोती इन्तकाल तस्दीक करते वक्त अपीलांट को खातेदार जगन्नाथ के प्राकृतिक वारिसान थे, जिन्हे सुनवाई का अवसर नही दिया गया। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

मृतक खातेदार जगन्नाथ पुत्र भोलू का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :–

जगन्नाथ की रामनाथी (पत्नि) जिसके मूलचन्द (पुत्र) चन्द्रीबाई, धापूबाई, कैलाशबाई (पुत्रिया) मूलचन्द की पुत्री अनुराधा एवं रजनी। इसी प्रकार जगन्नाथ की बादामबाई (द्वितीय पत्नि) जिसके पुत्र रामनिवास, आशू, रानू और पुत्री बनासी है।

यह कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार छबडा के द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 130 दिनांक 4.11.1995 तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 7.6.1994 के आधार पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 व उनकी माता बादामबाई के नाम तस्दीक किया है। परन्तु वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करते समय वसीयत के सम्बन्ध मे कानूनी प्रावधानों के तहत कोई जांच नही की गयी, ऐसी स्थिति मे बिना जांच पडताल के तस्दीक नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है।

यह कि विवादित आराजी के खातेदार जगन्नाथ के प्रथम पत्नि रामनाथी थी, जिसके जीवन काल मे ही जगन्नाथ ने दूसरी पत्नि बादाम से शादी कर ली। एवं प्रथम पत्नि रामनाथी फोत हो चुकी है। जिसके वारिसान मूलचन्द, चन्द्रीबाई, धापूबाई व कैलाशबाई पुत्र व पुत्रिया है। पुत्र मूलचन्द फोत हो चुका है। मूलचन्द के वारिसान अपीलांट है। एवं दूसरी पत्नि बादाम भी फोत हो चुकी है। जिसके वारिसान रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 है।

यह कि विवादित नामान्तरकरण तथाकथित वसीयत नामा दिनांक 7.6.1994 के आधार पर तस्दीक किया गया है। परन्तु सजरे के मुताबिक उसके सभी वारिसान को नामान्तरकरण तस्दीक करने के पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया एवं वसीयत के बारे मे भी कोई जांच पडताल नही की गयी। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 63, 68 के तहत वसीयत के कानूनी प्रावधानो के तहत प्रमाणित करने के बाद ही वसीयत को साबित मानी जा सकती है। परन्तु विवादित मामले मे नायब तहसीलदार के द्वारा वसीयत के सन्दर्भ मे कोई जांच पडताल अथवा बयान नही लिये गये। ऐसी स्थिति मे तथाकथित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करना अवैधानिक एवं निरस्त होने योग्य है।

यह कि विवादित आराजी खातेदार जगन्नाथ की पुश्तेनी आराजी थी, जिसे पुश्तेनी आराजी को वसीयत करने का कोई अधिकार नही था। विवादित आराजी पुश्तेनी होने के कारण कानूनन उक्त आराजी मे अपीलांट व जगन्नाथ के अन्य वारिसान का भी कानूनन हक व अधिकार बनता है। अपीलांट को उनके हक व अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है। उक्त वसीयत खातेदार के प्राकृतिक वारिसान के हिता के विरूद्व होने से नामान्तरकरण नम्बर 130 निरस्त होने योग्य है।

प्रकरण मे मियाद के सम्बन्ध मे पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 28.10.2018 को प्रतिवादीगण के द्वारा कहने पर हुई। उक्त दिनांक को प्रतिपक्षी ने आराजी बेचान करने की धमकी दी, तब हम अधीनस्थ न्यायालय मे गये और मालूमात की एवं नकल प्राप्त की इसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण समय पर अदालत मे नही आ सके एवं इसी दौरान अन्य गांव की जमीन के बारे मे भी नामान्तरकरण की जानकारी हुई, जिसकी नकल दिनांक 28.12.2018 को प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी की दिनांक एवं नकल प्राप्ति की दिनांक के दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। इस कारण अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को कन्डोन फरमायी जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार किया जाना न्याय हित मे आवश्यक है।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनो को दौहराते हुये कथन किया कि इन्तकाल नम्बर 130 दिनांक 4.11.1995 ग्राम खेरखेडा गुसाई के बाबत की गयी अपील गलत है एवं निरस्त होने योग्य है। इन्तकाल 1995 का है और अपील 2019 मे की है, जो लगभग 25 वर्ष बाद की है। जबकि इन्तकाल जमाबन्दी मे अंकन पब्लिक दस्तावेज है यदि इस भूमि मे अपीलांटगण का कोई हक या हिस्सा होता तो 25 वर्ष तक उन्होने क्यो नही कार्यवाही की इसका कोई कारण मेमो आफ अपील व धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र मे अंकित नही किया है। अपीलांट अनुराधा व रजनी मूलचन्द की पुत्रिया नही है, बल्कि अनुराधा व रजनी के पिता शंकरलाल है, अनुराधा जो वर्तमान मे चतुर्भुज मंदिर के पास कवल्दा तहसील खानपुर जिला झालावाड मे अपने पति सत्यनारायण के साथ रहती है। रजनी के पिता का नाम भी शंकरलाल है, जो भी वर्तमान मे कोटा मे रहती है। अनुराधा का राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत है। जिसमे उसके पिता का नाम शंकरलाल दर्ज है। स्कूल सर्टीफिकेट मे अनुराधा व रंजनी के पिता का नाम शंकरलाल दर्ज होना चाहिये। जो स्कूल वालो ने देने से मना कर दिया।

यह कि मेमो ऑफ अपील मे जगन्नाथ की पत्नि रामनाथी के मूलचन्द चन्द्रीबाई, धापूबाई व कैलाशबाई संताने बताई है। रामनाथी व मूलचन्द का मरना बताया है। परन्तु चन्द्रीबाई, धापूबाई व कैलाशबाई को इस अपील मे पक्षकार क्यो नही बनाया, इसका कोई कारण नही बताया है। यह कि इन्तकाल खातेदार श्री जगन्नाथ पुत्र भोलू जी खाती निवासी मून्डक्या द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 7.6.1994 पंजियन दिनांक 7.6.1994 की पूर्ण जॉच कर तस्दीक किया है। वसीयत नामा जगन्नाथ की स्वअर्जीत सम्पत्ति कृषि भूमि व मकानात के बाबत है, जिसकी वसीयत करने का वह पूर्ण रूप से सक्षम था। रजिस्टर्ड वसीयत है इसलिये उसके उपर किसी भी तरह का संदेह किये जाने की सम्भावना नही है। अपीलांट ने ऐसे कोई दस्तावेज पेश नही किये, जिससे यह साबित हो कि यह सम्पत्ति पैत्रिक सम्पत्ति है। वसीयतकर्ता ने अपनी वसीयत मे वसीयत सम्पत्ति को स्वअर्जित सम्पत्ति बताया है। वसीयत गवाहो से प्रमाणित है जिस पर दो गवाहो के हस्ताक्षर है तथा रजिस्ट्री हो रही है। यह कि यदि अपीलांट का कोई केस है तो वे सक्षम राजस्व न्यायालय मे धारा 88, 89 राज0 टेनेन्सी एक्ट मे वाद कर अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करा सकती है। वसीयत के निरस्तीकरण की भी कोई कार्यवाही नही की गयी है। इसलिये वसीयत पर किसी भी तरह का संदेह नही किया जा सकता है।

यह कि श्री जगन्नाथ जी के मरने के बाद से भूमि हम रेस्पोडेन्टगण के कब्जे काश्त मे है। इन्तकाल केवल फिजीकल प्रोसेडिंग होती है पक्षकारो के अधिकारो की घोषणा राजस्व न्यायालय द्वारा दावा करके ही की जा सकती है। अतः अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी उस पर मनन किया पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार छबडा द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नम्बर 130 दिनांक 4.11.1995 ग्राम खेरखेडा गुसाई तहसील छबडा की अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। प्रकरण मे सर्व प्रथम लिमिटेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर, उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर, लिमिटेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया ओर प्रकरण मे विस्तृत बहस सुनी गई। प्रकरण मे राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि उक्त विवादित आराजी स्वअर्जित नही होकर, जरिये फौती इंतकाल नम्बर 68 सम्वत् 2025–2028 मे खसरा नम्बर 85,86,87,88 एवं 326 ग्राम मूडक्या जगन्नाथ के पिता मृतक भोलू पुत्र बलदेव कौम खाती द्वारा जगन्नाथ को विरासत मे/उत्तराधिकार मे सम्पत्ति अंतरण/प्राप्त होने से पुस्तैनी आराजी होना पाया गया। अतः सम्पत्ति स्वअर्जित नही है।

परिणाम स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार छबडा द्वारा तस्दीक किया गया इन्तकाल नम्बर 130 दिनांक 4.11.1995 ग्राम खेरखेडा गुसाई तहसील छबडा निरस्त किया जाता है ओर तहसीलदार छबडा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मुताबिक वंशवृक्ष पुनः नए सिरे से विधिक वारिसान/उत्तराधिकारियों की जॉच मजमे आम मे/ग्राम पंचायत की बैठक मे चर्चाकर की जावे। इस निर्देश के साथ इन्तकाल नम्बर 130 दिनांक 4.11.1995 का प्रचलन निरस्त कर पत्रावली रिमाण्ड की जाती है तथा तहसीलदार/राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली प्राप्ति के 60 दिवस मे स्वंय की उपस्थिति मे विधिक वारिसान की जांच कर गुणावगुण पर उचित लेख बद्ध निर्णय जारी कर नामान्तरण प्रकरण का निस्तारण करे, समस्त पक्षकारान को भी सुना जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.10.24 14:59:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: